

संख्या: 438396/III(2)/2026-E-103182/2026

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय: राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में सिल्ला मोलधार मोटर मार्ग से कटिगाड़, कोल्टीयाणा, धार, मूल गांव सिल्ला भरत जी मन्दिर देवता तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)(प्रोजेक्ट आई0डी0 11503)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन (E-DPR), जिसमें मार्ग की लम्बाई 6.000 किमी० की लागत ₹ 9.90 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 9.90 लाख (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- I. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- II. विषयगत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- III. शा० सं० 383/III(1)/19-190 (PWD) 01 टीसी.11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- IV. उक्त स्वीकृति मार्ग के सर्वेक्षण, लेवल पिलर्स एवं मार्ग के प्लान एवं एल-सेक्शन बनाये जाने हेतु प्रदान की जा रही है जिसे तैयार हो जाने के बाद भूमि के मुआवजे, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं डी०पी०आर० गठन का आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- V. कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से



- अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- VI. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
 - VII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - VIII. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूलस-2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
 - IX. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - X. उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
 - XI. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
 - XII. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
 - XIII. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
 - XIV. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।
 - XV. कार्यस्थल के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य करने के दौरान एवं कार्य की समाप्ति पर फोटोग्राफ एवं विडियो विभागाध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जायेगी।
 - XVI. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया



- जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
3. ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/436012/2026 दिनांक 28 सितम्बर, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by भवदीय
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 06-10-2026
14:14:13

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अपर सचिव

आवंटन पत्र संख्या -1/438396/2026
 अनुदान संख्या -022

 आवंटन आई सी-526100220019
 आवंटन पत्र दिनांक-07-OCT-2026

 लेखा शीर्षक
 5054-ग्रहक तथा सड़कें एवं पुलीयन परिवहन
 337-ग्रहक निर्माण कार्य
 02-मो निर्माण कार्य

 04-पिस्त तथा अन्य जलवा
 03-सालन सेवाएं

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का जमा		योग	
53-ग्रहक निर्माण					5450000		10000		0		5460000	
योग					5450000		10000		0		5460000	

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, “नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1280/20याता०'क (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-9 अक्टूबर 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, PD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
 लोक निर्माण विभाग, देहरादून